Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 2, February-2019, ISSN 2230-7540

महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन: झारखण्ड के सन्दर्भ में

Mukesh Kumar*

Research Scholar

सार – *पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व विकास वर्तमान भारत का एक बेहद जरूरी विमर्श है। चूँकि यह महिला स्वतन्त्रता, समानता, मजबूती और महत्ता की हिमायत करता है, इसलिए इसे सम्पूर्ण मानव समाज के आधे हिस्से की बेहतरी से जुड़ा विमर्श कहा जा सकता है। इस बेहतरी की स्थापना हेतु भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की विकेन्द्रीकृत प्रणाली प्रारम्भ की गयी। यह विकेन्द्रीकरण जमीनी स्तर पर हुआ है तथा इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षित (वर्तमान में कई राज्यों में 50 प्रतिशत) किये जाने से जमीनी स्तर पर काफी बदलाव हुए हैं। आज भारत में 12 लाख से अधिक महिला निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं हैं। इतना ही नहीं अगर पूरी दुनिया के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या जोड़ी जाय तो वह संख्या इन भारतीय निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से कम ही है। देखा जाय तो पंचायतों में महिला नेतृत्व विकास एक ऐसी मौन क्रांति का द्योतक है जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक रूप से भले ही दिखाई नहीं दे रही हो पर उसकी धीमी आँच भारतीय लोकतंत्र को अवश्य मजबूत बना रही है।*

---------------------------------x--------------------------------

परिचय

देश की आजादी के बाद पूरे भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू थी। देश के पाँचवीं अनुसूची वाले आदिवासी इलाकों में थी वही सामान्य कानून ही लागू थी जिससे उनकी विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था लुप्तप्राय होने की स्थिति में पहुँच गयी थी। उनकी यही विशिष्ट पहचान को बचाने हेतू संविधान में 79वाँ संशोधन किया गया। यह संविधान का 73वाँ संशोधन अधिनियम 1992 पंचायतों को स्वशासी संस्था के रूप में काम करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ शक्तियाँ और अधिकार देता है। इसी के आलोक में आदिवासी बहुल इलाकों में पंचायती राज के विस्तार पर अध्ययन करने के लिए एक संसदीय समिति बनायी गयी जिसे भूरिया समिति कहा जाता है जिसने 17 जनवरी, 1995 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

भूरिया समिति की सिफारिश के बाद संसद ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 को अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पारित किया। झारखण्ड राज्य का 259 प्रखंडों में से 134 प्रखंड पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। झारखण्ड राज्य में झारखण्ड पंचायत राज विधेयक 2001, 30 मार्च 2001 को विधान सभा में पारित हो गया और अब यह कानून बन गया है। इस कानून के तहत अब राज्य में पंचायत चुनाव होंगे। अनुसूचित क्षेत्रों और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अलग-अलग कानून होंगे और अलग-अलग तरीके से पंचायती राज चलेगा।

स्वतन्त्रता पूर्व भारतीय राजनीति में महिलाएँ भारतीय महिलायें आजादी के पूर्व से राजनीति के साथ किसी न किसी रूप में संबद्ध रहीं हैं। वह स्वयं सेवक और नेता दोनों के रूप में स्वतन्त्रता आंदोलन का हिस्सा थीं।

सामाजिक और धार्मिक सुधार और महिलाओं की शिक्षा इस विकास में महत्वपूर्ण कारक थे। भारत में महिलाओं का सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन के लिए पहला आंदोलन 20वीं शताब्दी के आरम्भ में हुआ, जब महिलायें भी पुरूषो के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुंइं। इस परिदशय को कौन भूल सकता है जब बड़ी संख्या में साड़ी पहनकर महिलायें स्वतंत्रता आंदोलन में पुरूषों के साथ कार्य कर रहीं थीं, वे डंडे से नियंत्रण करने वाले सिपाहियों और जेल की सजा से बची रहीं, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये महिलायें कहाँ अदृशय हो गयीं वे पारिवारिक उत्तरदायित्व निभाने के लिये वापस घरों में चली गयीं, उनका कामकाज व कार्य

www.ignited.in

व्यवहार घर की चारदीवारी तक ही सीमित हो गया। 4 वे किसी पर आश्रित क्यों रहें इसलिए यह सोचा जाने लगा कि स्त्रियों को सत्ता में हिस्सा मिलना चाहिए, परिणामतः पंचायत से संसद तक आरक्षण की माँग की जाने लगी।

पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

भारत में पंचायती राज व्यवस्था का एक दीर्घकालीन इतिहास रहा है। अतः पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व का विश्लेषण करने हेतु अतीत से लेकर वर्तमान तक की पंचायती राज व्यवस्था की विकास यात्रा व इसमें महिलाओं की भूमिका और वैदिक कालीन पंचायतों में महिलाओं की स्थिति का विशलेषण अनिवार्य है। पंचायती राज व्यवस्था के विकास एवं स्वरूप का वर्णन अग्रलिखित है-

प्राचीन काल के स्थानीय स्वशासन में महिला नेतृत्व:

वैदिक काल के इतिहास का अध्ययन करने पर पंचायती राज का अस्तित्व साफ दिखाई देता है। इस समय तक ग्राम सभाओं तथा ग्राम-पंचायतों का गठन हो चुका था। वैदिक काल में ‘ग्राम’ प्रशासन की सबसे लघु इकाई थे जिनका मुखिया ‘ग्रामीणी’ कहलाता था। ग्रामीणी गाँव के श्रेष्ठ तथा बुजुर्ग व्यक्तियों की सलाह से कार्य करता था।

वैदिक काल में सभा होती थी, जिसमें प्रत्येक नागरिक भाग लेता था, जहाँ राजा भी भयभीत रहता था कि कहीं उसे राजा के पद से न हटा दिया जाए। वैदिक काल में जनता की ग्राम सभाएँ प्रत्येक गाँव में होती थी। ये “सभा” मुख्यतः गाँव की सामाजिक गोष्ठी होती थी, जो आवश्यकता पड़ने पर वह गाँव की समस्याओं से सम्बन्धित विषयों पर भी विचार करती थी। गाँव के पारस्परिक झगड़ों को तय करना व गाँव की रक्षा करना उसका कार्य था।

महाकाव्य काल रामायण व महाभारत में भी सभा का उल्लेख मिलता है, जो ग्रामीण सुरक्षा का प्रबन्ध करती थी। परन्तु इस सभा का स्वरूप वर्तमान पंचायतों के अनुरूप नहीं था। महाकाव्य काल में शासन की न्यूनतम इकाई ‘ग्राम’ ही मानी जाती थी जिसका मुखिया ‘ग्रामीक’ ग्रामीण शासन के लिए उत्तरदायी होता था। वह कर एकत्रित करने, ग्राम में शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता था। मौर्य काल में प्रचलित ग्रामीण स्वशासन में, प्रत्येक ग्राम का शासन पृथक-पृथक होता था। ग्राम के शासक को ‘ग्रामीक’ कहते थे। दस ग्रामों के मध्य ‘संग्रहण’ तथा 200 गांवों के मध्य ‘स्थानीय’ नाम की संस्थाओं की स्थापना की जाती थी।

गुप्त काल में मौर्यकाल की भाँति ही स्थानीय स्वशासन व्यवस्था प्रचलित थी। जिसकी सबसे लघु इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ‘ग्रामीक’ होता था। गुप्तकालीन ग्राम सभा को ‘ग्राम जनपद’ या ‘पंचमण्डली’ कहा जाता था, जो महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन करती थी। दक्षिण भारत में सात-वाहन-शासकों के काल में नगरों तथा ग्रामों में स्थानीय शासन संस्थाएं विधमान थी। दक्षिणी भारत के ही चोल प्रशासन में भी ग्राम स्वायतत्ता ग्राम परिषदें पायी जाती थी।

अतीत में भारत में पंचायतें थीं इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। लेकिन इनमें महिलाओं की भागीदारी भी थी- इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं। तत्कालीन पंचायतों के सदस्यों के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई थी, महिलाएँ उनकी परिधि में नहीं आती थी। वही व्यक्ति पंचायत में चुना जा सकता था जिसके पास कर देने योग्य भूमि हो, उसके पास अपना मकान हो, वह संस्कृत जानता हो तथा उसका ज्ञान बताने व सुनाने योग्य परिपक्व हो। वह व्यवसाय करना जानता हो और अपना धन ईमानदारी से कमाया हो। इन योग्यताओं के आधार पर महिलाएँ चुनाव के योग्य हो ही नहीं सकती थी। उत्तर वैदिक काल के बाद न उनके स्वामित्व में भूमि थी, न उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, और न ही आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने का अधिकार था।

जॉन मथाई ने अपनी पुस्तक-‘विलेज गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया’ में बताया है कि विभिन्न ग्रामीण समितियों के गठन में महिलाओं को सदस्य बनने की मनाही नहीं थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी पुस्तक ‘भारत की खोज’ में इस तरह का ईशारा करते हुए लिखा है कि ग्रामीण समितियाँ एक वर्ष के लिए गठित होती थी और महिलाएं भी ऐसी समितियों की सदस्य हो सकती थी। इन सन्दर्भों से यह ज्ञात होता है कि महिलाएं भी ग्रामीण समितियों की सदस्य बन सकती थी, लेकिन ऐसा प्रावधान वास्तविकता के धरातल पर प्रचलन में नहीं था। महिलाओं की जीवन-शैली इस तरह से नियंत्रित होती थी कि वे चाहकर भी किसी समिति का सदस्य नहीं बन सकती थी। इन समितियों को अनेक सार्वजनिक सामाजिक उत्तदायित्वों का पालन करना पड़ता था, इसलिए महिलाएं इनसे संबद्ध नहीं हो पाती थी।

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम में कटौती और विसंगति

झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001 की सिफारिशों पर विमर्श करने के पूर्व यह याद करना जरूरी है कि केन्द्रीय पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 की धारा 4 यह स्पष्ट चेतावनी देती है कि राज्य विधान मंडल इसकी धाराओं से असंगत कोई कानून नहीं बनायेगा। लेकिन झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001 में उक्त केन्द्रीय कानून द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं और पंचायतों को दी गयी अधिकारों को शामिल नहीं किया गया है।

केन्द्रीय विस्तार अधिनियम के निम्न धारा के निम्न बिंदुओं को ग्राम सभा या किसी उपयुक्त स्तर पर शामिल नहीं किया गया हैः-

धारा 4(1) - विकास के विभिन्न परियोजनाओं के लिये तथा ऐसी अन्य परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों को अनुसूचित क्षेत्रों में बसाने के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभा या उपयुक्त स्तर की पंचायत से विचार-विमर्श करना होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं के समन्वय की जिम्मेवारी राज्य स्तर पर वहन की जाएगी।

धारा 4(ा) - अनुसूचित क्षेत्रों में खनिजों के खनन हेतू खनन लीज पर प्रत्याशित लाइसेंस देने से पहले ग्राम सभा या उपयुक्त स्तर की पंचायत को सिफारिश करनी होगी जिन्हें अनिवार्य रूप से माना जाएगा।

धारा 4(स) - नीलामी के माध्यम से गौण खनिजों के दोहन के लिए रियायत देने से पहले ग्राम सभा या उपयुक्त स्तर की पंचायत द्वारा की गयी पूर्व अनुशंसाएँ अनिवार्य रूप से मानी जाएगी।

धारा 4(उ) - राज्य सरकार उपयुक्त स्तर पर और ग्राम सभा पर अधिकार और शक्ति की गारंटी करें जिसे यह स्वशासित संस्था की तरह काम करे, खासकर जैसे -

(1) किसी भी मादक पदार्थों की बिक्री या उपयोग पर बंदिश लगाने या नियमन करने की शक्ति

(2) लघु वनोपजों पर मालिकाना हक

(3) अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि या बेजा कब्जों की रोकथाम और गैर कानूनी ढंग से किसी भी अनुसूचित जनजाति के आदिवासी की हस्तांतरित जमीन की वापसी हेतू उपयुक्त कार्रवाही करने की शक्ति

(4) अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दिये जानेवाले कर्ज पर नियंत्रण संबंधी अधिकार

(5) सभी सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय संगठनों व संस्थाओं पर नियंत्रण संबंधी अधिकार

धारा 4(व) - राज्य विधान मंडल अनुसूचित क्षेत्रों, जिला स्तर की पंचायतों के लिए प्रशासकीय प्रबंध करने से पहले यह देखेगा कि यह प्रबंध संविधान की छठी अनुसूची की तर्ज पर हो रहा है

पेसा 1996 और जेपीआए का तुलनात्मक अध्ययन

पेसा - पेसा 1996 के धारा 4(क) में लिखा गया है कि पंचायतों पर कोई राज्य विधान जो बनाया जाए रूढ़िजन्य विधि सामाजिक और सामुदायिक संपदाओं की परंपरागत प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होगा।

साहित्य की समीक्षा

भारत सरकार अधिनियम-1935’ के अन्तर्गत 1937 तक बने लोकप्रिय मन्त्रीमण्डलों ने स्थानीय संस्थाओं को जनता में लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक कानून बनाए। इससे ये संस्थाएँ विकास तथा लोकप्रियता की चरम सीमा पर पहुँची। लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनके त्याग पत्र देने का सीधा प्रभाव स्थानीय स्वशासन व्यवस्था पर पड़ा। ब्रिटिश पदाधिकारियों द्वारा इस व्यवस्था पर ध्यान नहीं देने के कारण फिर से एक व्यक्ति का शासन स्थापित हो गया।

इसी कारण 1939 से 1946 के समय को स्थानीय शासन के इतिहास में ‘अन्धकार काल’ माना जाता है। ब्रिटिश काल में पंचायतों के विकास हेतु अनेक कदम उठाए गए, लेकिन इन संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पंचायतो व उनमें महिलाओं के नेतृत्व के बारे वर्णन करते समय संविधान सभा का उल्लेख करना अत्यन्त जरूरी है। पहले तो पंचायतों को संविधान में जगह ही नहीं दी जा रही थी परन्तु गाँधी जी के प्रभाव व अन्य लोगों के प्रयासों व दबावों के कारण अन्ततः पंचायतों को तो संविधान का हिस्सा बनाया गया।

विकास संस्थान, जयपुर, 2013-14 परन्तु इन पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता के बारे में कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। संविधान सभा में पंचायतों की बात तो दूर,

www.ignited.in

विधानमण्डल व संसद में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात को लिंग भेदभाव तथा समानता के विपरीत बताकर रद्द कर दिया गया। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के कुछ अग्रणी नेताओं ने न केवल महिलाओं की दशा सुधारने का संकल्प लिया बल्कि उनकी शक्ति को पहचानते हुए, उन्हे स्वतन्त्रता संग्राम में शामिल करने का भी आहवान किया। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द, ऐनीबेसेंट, रामकृष्ण परमहंस ईत्यादि ने सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध तीव्र जन-आन्दोलन चलाकर महिलाओं को स्थिति सुधारने का सराहनीय प्रयास किया।

आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2000 स्वतन्त्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व: स्वाधीन भारत में महिला विकास को एक नई गति मिली। स्वतन्त्रता के बाद महिलाओं के राष्ट्रीय आन्दोलन मे योगदान को स्वीकारते हुए तथा उदारवादी और समाजवादी विचारधाराओं के प्रभाव के कारण पं. जवाहर लाल नेहरू जैसे नेतामें ने महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति सुधारने की प्रक्रिया शुरू की। नेहरू ने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास की समूची अवधारणा के मूल आधार के बारे में बात करते हुए स्त्रियों को आगे ब अनु॰ 51(ड) प्रत्येक नागरिक पर ऐसी प्रथाएं त्यागने का कत्र्तव्य डालता है जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हों।10 संविधान की इसी भावना के अन्तर्गत कालान्तर में पंचायती राज अधिनियम पारित कर पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ, भारत के सभी राज्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है

पचशील प्रकाशन, जयपुर, 2013 पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरो पर महिलाओं के लिए स्थानो का आरक्षण किया गया है। अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों (अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण सहित) की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान (जिसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है।) महिलाओं के लिए आरक्षित होगें। ऐसे स्थानों का आवंटन किसी पंचायत में चक्रानुक्रम में किया जाएगा।

उद्देश्य

सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक सभी अध्ययनो में कार्य करने से पूर्व उसके उद्देशयों को निर्धारित किया जाता है।16 इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए शोधकत्र्ता ने प्रस्तुत अध्ययन

पंचायती राज में महिला नेतृत्वः-

- भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना, संगठन व कार्यों का अवधारणात्मक व व्यावहारात्मक विशलेषण तथा अध्ययन करना।
- पंचायती राज के माध्यम् से महिला नेतृत्व की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- पंचायती राज के माध्यम् से महिला नेतृत्व की राजनीतिक व प्रशासनिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व के विकास को प्रभावित करने वाले सकारात्मक एवं नकारात्मक कारको का अध्ययन करना।

अध्ययन विधि:-

इस अध्ययन को करने के लिए पश्चिम सिंहभूम से जयसिंह पुरती, खूंटी से विनोद अहीर, लोहरदगा से सुशीला कुमारी, गोड्डा से स्टानिस मुर्मू, दुमका से दीनानाथ शाह और राँची से दशरथ बेदिया, माया बेदिया, कुआंरी रोपन टोप्पो, मालती देवी, बालेश्वर मुण्डा, परमेश्वर भोक्ता और फागू राम मुण्डा, 12 रिसर्च फेलोज का चयन किया गया। एक लम्बी प्रश्नावली तैयार की गयी जिसमें ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, मुखिया, प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, उपायुक्त, स्वयं सेवी संस्था, अपवर्जित समूह, वंचित समूह और महिलाओं से साक्षात्कार लिये जाने थे।

इस फॉरमेट पर समझ बनाने के लिए उन्हीं चुनिन्दे 12 रिसर्च फेलोज को राँची बुलाया गया और कार्यशाला के माध्यम से जानकारी दी गयी। इस फॉरमेट को लेकर जब फेलोज गाँव लौटे तो दो-तीन फील्ड में जाकर यह देखा गया कि कहीं फॉरमेट भरने में असुविधा तो नहीं हो रही है।

सभी फेलोज ने जब अपने फॉर्म्स भरकर जमा किये तब उसका आंकड़े का विश्लेषण किया गया। 22 सितंबर, 2012 को राँची में एक राज्य स्तरीय सेमीनार कर उसके प्रतिफल को रखा गया। सेमीनार में वनाधिकार कानून, मनरेगा

कानून, भोजन के अधिकार और पेसा कानून पर गहन चर्चा की गयी।

अध्ययन से यह पता करना था कि पेसा के प्रावधानों के अनुरूप ग्राम सभाओं का गठन किया जा रहा है अथवा नहीं। 30 गाँवों के अध्ययन से पता चला है कि 28 राजस्व गाँवों में ग्राम सभा का गठन किया गया है जबकि 2 टोले में ग्राम सभा गठन की प्रक्रिया शुरू की गयी है। पेसा में प्रावधान है कि सिर्फ राजस्व गाँव ही नहीं बल्कि हर टोला में ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है।

अपनी पुरानी आदत के अनुसार पेसा कानून के बनने के बाद भी ग्राम सभाओं की नियमित बैठक नहीं हो पा रही है। इस अध्ययन से यह मालूम पड़ता है कि सिर्फ 6 गाँवों में ग्राम सभा की मासिक बैठक होती है। 2 गाँवों में सरकारी आदेश के बाद बैठक का आयोजन किया जाता है। 2 गाँवों में कभी-कभार ही बैठक हो पाती है जबकि 2 गाँवों में सिर्फ तभी ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है जब गाँव में कोई विवाद का निपटारा करना हो।

झारखण्ड के आदिवासी अंचलों में समुदाय के मुखिया का चुनाव परंपरागत तरीके से किया जाता रहा है। जब प्रदेश में एक लम्बे समय के बाद पेसा के तहत पंचायत चुनाव किया गया तो समझा यह जा रहा था कि अब ग्राम प्रधान का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होगा।

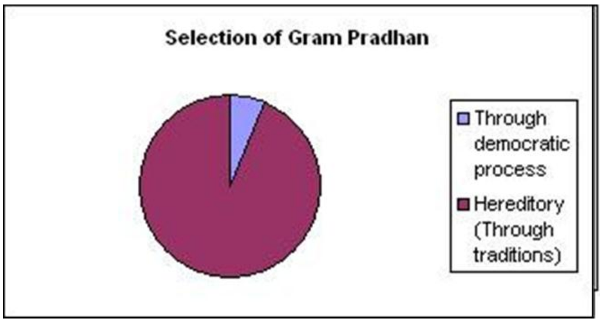

लेकिन यह अध्ययन बताता है कि अभी भी 28 गाँवों में पारंपरिक तरीके से ही ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जाती है यानी प्रधान का बेटा ही प्रधान बनता है। सिर्फ 2 गाँवों में ही बहुमत के आधार पर ग्राम प्रधान का चुनाव किया जाता है।

आज यह कहा जाता है कि आदिवासी समाज में महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भागीदार नहीं बनाया जाता है। लेकिन यह अध्ययन इस मिथ को तोड़ता है। अध्ययन बताता है कि 6 गाँवों में महिला प्रधान हैं जबकि 24 गाँवों में उनका कोई अस्तित्व नहीं है।

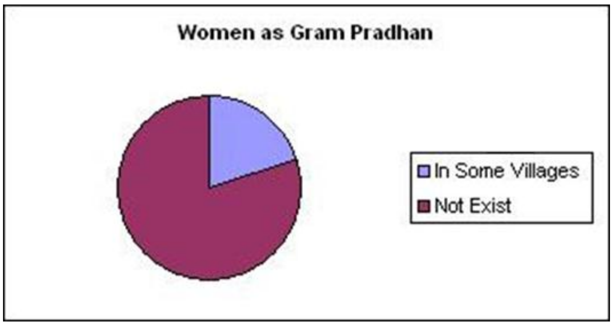

अध्ययन बताता है कि किये गये सर्वेक्षण वाले सभी 6 जिलों में ग्राम सभाएँ विवादों का निपटान कर रही हैं। इन जिलों में ग्राम सभाएँ योजनाएँ भी बना रही हैं। लेकिन सरकारी योजनाओं की देख-रेख सिर्फ एक जिले यानी राँची में ही हो पा रही है। अगर हम राजस्व वसूली की बात करें तो यह सिर्फ 2 गाँवों तक ही सीमित है।

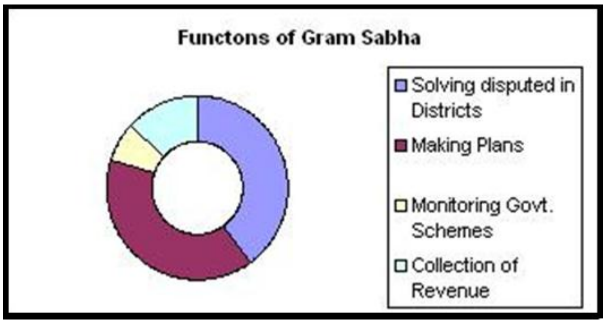

ऊपर देखा गया कि 6 जिलों के कुछ गाँवों में योजनाएँ बनायी जा रही हैं। लेकिन गाँव द्वारा बनायी गयी योजनाओं की स्वीकृति का क्या हाल है। अध्ययन द्वारा इसका जब पता लगाया गया तो पाया गया कि 30 में से 26 गाँवों के चुनिन्दें व्यक्तियों ने कहा। सिर्फ 4 गाँवों के व्यक्तियों ने कहा कि ग्राम सभा द्वारा बनायी गयी योजनाओं की स्वीकृति मिलती है।

यह छोटा अध्ययन बताता है कि ग्राम सभा की बैठक में जमीन अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। 26 ग्राम सभाओं के सदस्यों ने कहा कि अगर किसी कंपनी या सरकार को किसी तरह की आवश्यकता होती है तो वैसे प्रस्ताव पर ग्राम सभा में विचार किया जाता है। 2 ग्राम

सभाओं के लोगों ने सिर्फ यह कहा कि उनके ग्राम सभा में भू-अधिग्रहण प्रस्ताव पर विमर्श नहीं किया जाता है।

उपसंहार

देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण महिला नेतृत्व विकास अति आवश्यक हैं और इसी कारण देश के विकास के लिए ग्रामीण महिलाओं को मुख्य धारा में लाना सरकार की मुख्य चिंता रही है। ग्रामीण महिला नेतृत्व विकास ग्रामीण भारत के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण, जीवन के सभी क्षेत्रों में सतत् विकास, पारदर्शी तथा उत्तरदायी सरकार एवं प्रशासन के लिए आवशयक है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं एवं पुरूषों की समान भागीदारी ग्रामीण समाज एवं देश के संतुलित विकास का कानून संरचनात्मक असमानता को दूर नहीं कर सकते हैं लेकिन वे निशिचत रूप से सामाजिक परिवर्तन में सहायता कर सकते हैं। हमें समतामूलक और न्यायसंगत समाज को प्राप्त करने के लिए अहिंसा और गैर पूर्वाग्रह की संस्कृति पर जागरूकता लाने की जरूरत है। हमें प्रणालीगत सुधार करने की जरूरत है न कि व्यक्तिगत मामलों से अपनी सफलता को सीमित करने की। राजनीतिक भागीदारी न केवल महिलाओं के विकास और सशक्तीकरण का प्रतीक है, बल्कि यह आगे भी जागरूकता पैदा करती है और बड़े पैमाने पर उनके और सामाजिक हितों को किया जायेगा।

संदर्भ

1. महिपाल, पंचायती राज- चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली-110070, 2013
2. बावेल डॉ. बसन्तीलाल, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2013
3. अरोड़ा, रमेश के., इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशनः परसेप्शन एण्ड पर्सपैक्टिज, अलकेश पब्लिशर्स, जयपुर, 1999
4. गाँधी एम. के. (लेखक), पंचायती राज, नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-380014, 2014
5. आसोपा, जयनारायण, कल्चरल हैरिटेज जयपुर, राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस, जयपुर, 1979
6. नेहरू, जवाहरलाल, सामुदायिक विकास और पंचायती राज, सस्ता साहित्य मंडल, 1965
7. अवस्थी एवं माहेशवरी, लोक प्रशासन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा-3, 2011
8. डॉ. अनिता, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड सभा, ग्राम सभा एवं वार्ड पंच के दायित्व, कृत्य एवं शक्तियाँ, इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर, 2013-14
9. अमृतराव, ए. परसनैल मैनेजमेण्ट एण्ड म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया, आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1966
10. आचार्य डॉ. हर्षवर्धन, लोक प्रशासन के तत्व, कॉलेज बुक हाउस, जयपुर, 1992
11. डॉ. अनिता, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषदः जिला प्रमुख एवं सदस्यों के दायित्व, कृत्य एवं शक्तियाँ, इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर, 2013-14
12. आचार्य डॉ. हर्षवर्धन, भारत में लोक प्रशासन, कॉलेज बुक हाउस, जयपुर, 1992 250
13. डॉ. अनिता, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समितिः प्रधान एवं सदस्यों के दायित्व, कृत्य एवं शक्तियाँ, इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर, 2013-14
14. अरोड़ा रमेशकुमार एवं चतुर्वेदी गीता, राज्य प्रशासन, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2000
15. शर्मा, वीरेन्द्र प्रकाश, रिसर्च मेथडोलोजी, पचशील प्रकाशन, जयपुर, 2013

Corresponding Author

Mukesh Kumar*

Research Scholar

mukesh.dtg@gmail.com